

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/पेन-50/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

स्व० (डा०) बसंत कुमार, भूतपूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा के द्वारा बीमारी में बितायी गयी अवधि दिनांक-15.12.2024 से 07.01.2025 तक कुल-24 (चौबीस) दिनों को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 एवं वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-883(25) दिनांक-25.04.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में (48 दिन के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदलें) रूपान्तरित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

ह० / -

(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/पेन-50/2025- 177(2) पटना, दिनांक 30/01/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा/जिला कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/श्रीमती इन्दिरा सिन्हा पत्नी स्व० (डा०) बसंत कुमार, भूतपूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा पत्राचार का पता-ग्राम/मो०-नया टोला, कुम्हरार, पो०-बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी थाना-अगमकुआँ, जिला-पटना, पिन कोड-800026 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

W. M. K. 29/1/25  
सरकार के उप सचिव।